न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– अंशुल आमेरिया (आर. ए. एस.)
राजस्व वाद संख्या :– 137/2018

उनवान

1. मदनलाल पुत्र पांचू
2. छोटूलाल पुत्र पांचू
3. महावीर पुत्र पांचू
4. पारसी पुत्री पांचू समस्त जाति माली निवास ग्राम देराठू, तहसील– नसीराबाद

—— अपीलांट :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1 दुर्गाप्रसाद उर्फ दुर्गालाल पुत्र. सुवा
2. ग्यारसीलाल पुत्र सुवा दोनो जाति माली निवासी ग्राम देराठू, नसीराबाद
3. सरपंच ग्राम पंचायत देराठू, तहसील नसीराबाद
4. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— रेस्पोडेन्टगण :– 1 से 3 अनुपस्थित, 2 जरियें अधिवक्ता श्री शकील अहमद, 4 जरियें तहसीलदार नसीराबाद

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत देराठू द्वारा दिनांक 25.05.1993 को पारित अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 466 को निरस्त किये जाने बाबत।

–: आदेश :– दिनांक :– 3.1.24

अधिवक्ता अपीलांट ने उक्त अपील पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट के पिता पांचू पुत्र ज्वाना जाति माली के नाम ग्राम देराठू के वंर्किग खसरा नम्बर 539/0.26 हाल खसरा नम्बर 389/0.26, वंर्किग खसरा नम्बर 1149 रकबा 0.27 के हाल खसरा नम्बर 1812/0.27, वंर्किग खसरा नम्बर 158/0.07 हाल खसरा नम्बर 1828/0.07, वंर्किग खसरा नम्बर 2302 मिन/0.50 हाल खसरा नम्बर 3670/0.50 वंर्किग खसरा नम्बर 2302 मिन/0.50 हाल खसरा नम्बर 3673/0.50 कुल 9–5–00 भूमि वंर्किग जमाबंदी में अपीलांट के पिता पांचू पुत्र जवाना के नाम खातेदारी दर्ज था। पांचू पुत्र जवाना की मृत्यु हो गयी है। जिसके वासि अपीलांट ही है। किन्तु पांचू पुत्र जवाना की विरासत जरियें नामान्तकरण संख्या 466 दिनांक 25.05.1993 द्वारा दर्ज करते समय [illegible] पांचू की पत्नी फूमा का सही नाम अंकित कर दिया लेकिन दुर्गाप्रसाद, ग्यारसील[illegible] पुत्र [illegible] रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के नाम गलत अंकित कर दिया। जबकि [illegible] माली के पुत्र है। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नामान्तकरण गल[illegible] तरीके से स्वीकार किया है जिसे खारिज किया जावे एवं अपलां की अपील स्वीकार [illegible] जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.30 14:20:24 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 3 प्रकरण में अनपुस्थित रहे। राज0 पैरोकार ने जाहिर किया कि अपीलांट अपनी अपील स्वयं स्वीकार करे। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने प्रकरण में अपनी लिखित सहमती पेश की।

बहस उभयक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्धान अधिवक्तागण व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया गया। हाल खसरा नम्बर 389/0.26, 1812/0.27, 1828/0.07, 3670/0.50 व 3673/0.50 किता 5 रकबा 1.60 रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 व फूमा पत्नी पांचू के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नामान्तकरण संख्या 466 के अनुसार उक्त आराजी पूर्व में पांचू पुत्र जुवाना के नाम दर्ज थी जिसकी मृत्यु के बाद जरियें विरासत उक्त आराजी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 तथा फूमा पत्नी पांचू के नाम दर्ज की गयी। अपीलांट पांचू पुत्र जुवाना के पुत्र व पुत्री है। उक्त नामान्तकरण में अपीलांट का नाम दर्ज करने के स्थान पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 का नाम अंकित कर दिया जबकि अपीलांट पांचू पुत्र जुवाना के पुत्र व पुत्री होने के कारण उसका नाम उक्त विरासत नामान्तकरण में फूमा पत्नी पांचू के साथ दर्ज करना चाहिये था। पत्रावली में प्रस्तुत वंर्किग जमाबंदी में भी आराजी मुतनाजा पांचू पुत्र जुवाना के नाम खातेदारी दर्ज थी। ग्राम पंचायत देराठू द्वारा दिनांक 08.06.18 को जारी शजरा प्रमाण पत्र में भी अपीलांट को ही पांचू पुत्र जुवाना का वारिस दर्शाया है। अपीलांट की माता व पांचू की पत्नी फूमा की मृत्यु हो चुकी है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र व राशन कार्ड से भी अपीलांट पांचू के वारिस सिद्व होते है। पत्रावली में उपपलब्ध खाता संख्या 809/793 खसरा नम्बर 388, 1786, 1826, 1827 किता 4 रकबा 0.60 की जमाबंदी अनुसार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पिता का नाम सुवा है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 3 तथा राज0 पैरोकार द्वारा अपील का कोई खण्डन नही किया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपनी लिखित सहमती पेश की है। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त विरासती नामान्तकरण बिना विधिक जॉच के स्वीकार किया है। अतः अपील के तथ्य स्वीकार योग्य है।

अतः अपील अपीलांट **"स्वीकार"** की जाती है। ग्राम देराठू हाल खसरा नम्बर 389/0.26, 1812/0.27, 1828/0.07, 3670/0.50 व 3673/0.50 किता 5 रकबा 1.60 पर पूर्व राजस्व अभिलेख वंर्किग जमाबंदी में दर्ज नामान्तकरण संख्या 466 दिनांक 25.05.1993 को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी पर पांचू पुत्र जुवाना के वारिसान की विधिवत जॉच कर नये सिरे से विरासत की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.30 14:20:24 IST
Reason: SelfAttested